

दिल्ली सरकार बनाम केन्द्र सरकार के मध्य शक्तियों के विभाजन से संबंधित मुद्दे

संदर्भ-

- दिल्ली और केन्द्र राज्य के बीच, भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, जांच आयोग गठित करने, बिजली बोर्ड पर नियंत्रण, भूमि राजस्व मामलों और लोक अभियोजकों की नियुक्ति संबंधी मुद्दों पर मतभेद थे।
- इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के दो न्यायाधीश बेंच की पीठ ने फैसला दिया। किंतु आम सहमति न बन पाने के कारण यह मुद्दा तीन न्यायाधीशों की पीठ को जाना तय हुआ।
- 1991 में 69वें संविधान संशोधन के माध्यम से दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र' बना।
- संविधान के अनुच्छेद 239 और 239AA की व्याख्या को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच मतभेद था। अनु. 239 के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकार एवं सीमाएं वर्णित हैं।

महत्वपूर्ण घटना क्रम क्या रहे हैं?

- जुलाई 2018 को संविधान पीठ द्वारा निर्णय दिया गया कि कानून व्यवस्था, पुलिस और जमीन को छोड़कर उपराज्यपाल स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकते।
- उपराज्यपाल को दिल्ली सरकार की सलाह पर काम करना होगा और अगर किसी मामले पर सरकार और उपराज्यपाल के बीच विवाद हो जाए तो उपराज्यपाल उसे राष्ट्रपति को भेजेगा।
- संविधान पीठ के फैसले के बाद भी ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े मुद्दों पर अस्पष्टता थी, क्योंकि पब्लिक ऑर्डर पुलिस और भूमि के मामलों पर क्षेत्राधिकार उपराज्यपाल को था।
- दिल्ली सरकार ने अक्टूबर को शीर्ष अदालत से कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी के शासन से संबंधित उसकी याचिकाओं पर शीघ्र सुनवाई की जाये क्योंकि वह प्रशासन में लगातार गतिरोध नहीं चाहती है।
- दिल्ली सरकार द्वारा दायर याचिका में प्रशासन के मामले में उसकी स्थिति व केन्द्र और दिल्ली में सरकार के बीच अधिकारों को लेकर लगातार हो रहे मतभेद के परिप्रेक्ष्य में संविधान पीठ ने राष्ट्रीय राजधानी में शासन के मानदंड निर्धारित किये थे।

हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय (2019)

- दिल्ली में अधिकारों के नियंत्रण के मामलों पर मतभिन्नता है।
- ग्रेड-1 और ग्रेड-2 संयुक्त सचिव और उसके ऊपर के अधिकारियों पर उपराज्यपाल का नियंत्रण होगा।
- हालांकि यूटी कैडर के दानिक्स और दापिक्स अधिकारियों की नियुक्ति और तबादलें की फाइलें मंत्रीपरिषद् के द्वारा उपराज्यपाल के पास जाएंगी।
- दिल्ली सरकार द्वारा पारदर्शिता हेतु ग्रेड-3 और ग्रेड-4 के अधिकारियों की नियुक्ति और तबादले के लिए बोर्ड गठित किया जाएगा।
- दूसरे न्यायाधीश के मतानुसार, सर्विसेज के मामले में संपूर्ण अधिकार केन्द्र का होगा।
- दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) केन्द्र के नियंत्रण में है। एसीबी द्वारा केन्द्रीय कर्मियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच नहीं की जा सकती।
- दिल्ली सरकार जांच आयोग का गठन नहीं कर सकती, आयोग गठित करने का अधिकार केन्द्र सरकार के पास है। (दिल्ली सरकार द्वारा डीडीसीए और सीएनजी घोटालों की जांच के लिए आयोग गठित किया गया था, जिसे उपराज्यपाल ने खारिज कर दिया था।)

दिल्ली सरकार के अधिकार

- दिल्ली सरकार राजस्व विभाग के तहत (उपराज्यपाल की राय द्वारा) कृषि की न्यूनतम दर तय कर सकती है किंतु मतभेद होने पर मामला केन्द्र को भेजा जाएगा।

- दिल्ली को इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म एक्ट में बिजली बोर्ड का निदेशक नियुक्त करने और डीईआरसी को निर्देश देने का अधिकार होगा।
- विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने का अधिकार होगा।

दिल्ली बनाम केन्द्र सरकार

- जुलाई, 2018 : सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से कहा कि दिल्ली को राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। साथ ही कहा कि उपराज्यपाल को निर्वाचित सरकार की सलाह और सहायता से कार्य करना होगा।
- जुलाई, 2018 : संविधान पीठ के फैसले के मद्देनजर विभिन्न अधिकारों की स्थिति को लेकर दाशिल दिल्ली सरकार की अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते सुनवाई को तैयार हुआ।
- जुलाई, 2018 आप सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि उसकी कार्यप्रणाली पंगु हो गई है और वह संविधान पीठ के फैसले के बावजूद अधिकारियों के तबादले और नियुक्तियां नहीं कर पा रही है।
- अक्टूबर, 2018 : केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि उपराज्यपाल को दिल्ली में सेवाओं के नियमन का अधिकार है।
- अक्टूबर, 2018 : केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि संविधान के तहत दिल्ली पुलिस और सीबीआई के बीच विभाजित जांच अधिकारों पर केंद्र अपने अधिकारों के दायरे में है।
- नवंबर, 2018 : सेवाओं पर नियंत्रण, जांच आयोग के गठन और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से जुड़ी अधिसूचनाओं को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित किया।

239(AA) दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध-

- संविधान (69वां संशोधन) अधिनियम, 1991 के प्रारम्भ से, दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र कहा जाएगा और अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त उसके प्रशासक का पदाभिधान उपराज्यपाल होगा।
- राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के लिए एक विधान सभा होगी और ऐसी विधान सभा में स्थान राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए सदस्यों से भरे जाएंगे।
- विधान सभा में स्थानों की कुल संख्या, अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजन तथा विधान सभा के कार्यकरण से संबंधित सभी अन्य विषयों का विनियमन संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा किया जाएगा।
- अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 327 और अनुच्छेद 329 के उपबंध राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा और उसके सदस्यों संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे, किसी राज्य, किसी राज्य की विधान सभा और उसके सदस्यों के संबंध में लागू होते हैं तथा अनुच्छेद 326 और अनुच्छेद 329 में “समुचित विधान-मण्डल” के प्रति निर्देश के बारे में यह समझा जाएगा कि वह संसद के प्रति निर्देश है।